205

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमाँक /2014 पुर्नरीक्षण · निग-504-III-14

जगत सिंह पुत्र श्री मान सिंह पटेल
निवासी ग्राम गठेबरा , तहसील व जिला
छतरपुर , जिला छतरपुर {म०प्र०}

---पुर्नरीक्षणकर्ता

बनाम

शंकरपटेल पुत्र श्री प्यारेलाल पटेल
निवासी ग्राम बृजपुरा , तहसील व जिला
छतरपुर , जिला छतरपुर {म०प्र०}

-----रेस्पोन्डेन्ट

पुर्नरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 , व म०प्र० भू-राजस्व संहिता { संशोधन अधिनियम 2011 } विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर के प्रकरण क्रं० 18/अपील /अ-70 /13-14 , आदेश दिनांक 12-12-2013 से दुखित होकर ।

----0-----

माननीय न्यायालय ,

पुर्नरीक्षणकर्ता की ओर से पुर्नरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

{1}- यह कि, रेस्पोन्डेन्ट द्वारा म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत भूमि खसरा नम्बर 1532 मौजा गठेबरा का कब्जा वापस लिये जाने हेतु दिनांक 3-8-2012 को आवेदनपत्र प्रस्तुत किया ,प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक तलब हो तथा हल्का पटवारी

--2

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 504–तीन/14 जिला–छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 18–08–2016 | 1– आवेदक के अधिवक्ता एम.पी. भटनागर उपस्थित उनके कायमी पर तर्क सुने।<br><br>2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्र.कं. 18/अपील/अ–70/13–14 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br><br>3– आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्याायलय के आदेश का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण धारा 250 की कार्यवाही से संबंधित है। सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष पृथक से निगरानी प्र.कं. 4262–दो/12 प्रस्तुत की थी जो इस प्रकरण के साथ संलग्न होकर दोनों प्रकरण में एक साथ सुनवाई की गई। सीमांकन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्र.कं. 4262–दो/12 निरस्त किये जाने से उक्त निगरानी ग्राह्ययता पर ही निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिंाक 12.12.2013 यथावत रखा जाता है।<br><br>सदस्य | |